राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1811 / 2013 / अलवर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–बी, अलवर. ....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स धारा वैजीटेबल ऑयल एण्ड फूड, कं0 लिमिटेड,
एम.आई.ए, अलवर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.

श्री ओ. पी. गुप्ता,
अधिकृत प्रतिनिधि ....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 07 / 09 / 2016

निर्णय

1. यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–बी, अलवर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 128 / RVAT / 2012–13 / उपा / अपील्स / अलवर में पारित किये गये आदेश दिनांक 22.03.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 22.03.2013 के द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के प्रत्यर्थी व्यवहारी की कर निर्धारण वर्ष 2008–09 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 33 में पारित किये गये आदेश दिनांक 11.07.2012 में आरोपित कर रूपये 56,782 / – व ब्याज रूपये 22,713 / – कुल मांग राशि रूपये 79,495 / – की अपील स्वीकार किये जाने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण वर्ष 2008–09 की अवधि में जौ, गैहूं, सरसौं की राशि रूपये 14,19,544 / – की बिक्री कर मुक्त प्रदर्शित थी। कर मुक्त बिक्री के दर्शाने के कारण Truthfull Seeds की बिक्री करना था। कर निर्धारण अधिकारी ने इस बिक्री को कर मुक्त होने से अस्वीकार करते हुए कर व ब्याज का आरोपण किया।

3. अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने बहस में अपीलीय अधिकारी के आदेश को त्रुटिपूर्ण होना बताया तथा अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

लगातार...............2

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने बहस में कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 33 में नोटिस जारी करते समय नोटिस में वर्ष 2008—09 के कर निर्धारण की पुनः जांच का उल्लेख किया तथा कर मुक्त माल पर करारोपण किया जो अविधिक है। अग्रिम कथन किया की प्रत्यर्थी व्यवहारी ने Truthfull Seeds का विक्रय रूपये 14,19,544/— किया है तथा वैट अधिनियम की अनुसूची—प्रथम के क्रम संख्या 56 पर यह कर मुक्त है। अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया व अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

5. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने ऑडिट आक्षेप के कारण नोटिस जारी किया तथा कर मुक्त माल पर कर आरोपित करने को प्रस्तावित किया। वैट अधिनियम की अनुसूची—प्रथम की प्रविष्टि संख्या 56 निम्न प्रकार है :— Seeds of grass, vegetables and flowers, [truthfully labeled seeds and] seeds certified by the certification agency under the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), when sold in sealed bags or containers. प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर मुक्त माल का विक्रय प्रदर्शित किया गया, जिसे नियमित कर निर्धारण आदेश में कर मुक्त स्वीकार किया। ऑडिट आक्षेप के कारण यांत्रिक तरीके से कर मुक्त माल पर करारोपण किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है। अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है। अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

6. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी 07/05/2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य